

तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकुला

सार्व जनिक सूचना

शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के संबन्ध में।

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के जिन छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, उनमें से कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति किन्हीं कारणों (दस्तावेजों की कमी या वेरीफिकेशन प्राप्त ना होने की वजह से लम्बित है। इन छात्रों को समय-समय पर दस्तावेजों की कमी को दूर करने हेतु सूचित किया जाता रहा है। इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे छात्रवृत्ति कक्ष, गुरु ब्रह्मानन्द जी राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी, जिला-करनाल, हरियाणा में 21.04.2025 से लेकर 30.05.2025 तक किसी भी कार्यालय दिवस पर समय सुबह 9.00 से शाम 5.00 बजे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं:-

1. संस्थान का एआईसीटीई / पीसीआई / काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (कोर्स के अनुसार जो भी लागू हो) से अनुमोदित पत्र (Approval letter) सत्र 2018-19 / 2019-20 के लिए।
2. State Fee Committee/Fee Rationalization Committee द्वारा अनुमोदित (Approved) (सत्र 2018-19/ 2019-20 के लिए) पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना।
3. सत्र 2018-19 / 2019-20 में संस्थान को दी गई फीस की रसीद।
4. आधार कार्ड।
5. जाति प्रमाण पत्र।
6. हरियाणा मूल निवास प्रमाण-पत्र।
7. सत्र 2018-19 का पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र।
8. Outside Proforma for attendance proof for 2018-19 verified by Head of Institute (for students studied in institutes located Outside Haryana).
9. Degree/Diploma Detailed Marksheet Certificates.

यह भी सूचित किया जाता है कि 30.05.2025 के बाद शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 की किसी भी लम्बित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट:- यह सूचना तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों (इंजीनियरिंग / फॉर्मैसी / आर्किटेक्चर व अन्य सभी तकनीकी कोर्स आदि) के लिए है, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था।

कृते: महानिदेशक,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकुला

PRDH-1115/11/400/2026/34115/10/6



हरियाणा सरकार